निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :– 12/2024 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 06/03/2025
निर्णय दिनांक :– 17/01/2025

अनवान

1. भंवरसिंह पिता हेम सिंह जाति रावत निवासी मोटा गुडा तहसील भीम जिला राजसमन्द।

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थी कि राजस्व भूमि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ जिला राजसमंद में स्थित है जिसके पुर्व जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खसरा संख्या 1270/1 रकबा 0.1800 बीघा, खसरा संख्या 1271/1 रकबा 1.01 बीघा, खसरा संख्या 1272/1 रकबा 2.10 बीघा कुल किता 3 रकबा 4.09 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में स्थित थी। प्रार्थी के पिता ने उक्त भूमि जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.12.1954 को जरीये रजिस्टर्ड विकय पत्र गोकल सिंह जी से खसरा संख्या 1270 एवं 1271 कि भूमि खरीदी एवं श्री नवल सिंह पिता श्री पृथ्वीसिंह जी से जरीये रजिस्टर्ड बिकाव दिनांक 07.08.1961 को खसरा संख्या 1272 कि भूमि खरीदी तब से लगायत आज दिन तक प्रार्थी अपने पिता के समय से ही उक्त आराजियात पर करीब 6 वर्षों से निरन्तर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के अविरल कास्त करते हुये उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी कि सीमा तारबन्दी बाड कर रखी है प्रार्थी ने उक्त भूमि पर कुआ भी खुदवाया है। वर्तमान में वर्ष 2020 में देवगढ़ तहसील का सेटलमेंट हुआ उस समय प्रार्थी ने पुर्व

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

आराजी संख्या 1270/1 रकबा 18 विस्वा, आराजी संख्या 1271/1 रकबा 1.01 बीघा के सयुक्त नवीन आराजी 1496 रकबा 0.4200 हैक्टर, आराजी संख्या 1272/1 रकबा 2.10 बीघा के नवीन आराजी संख्या 1499 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा संख्या 1501 रकबा 0. 0100 हैक्टर व खसरा संख्या 1502 रकबा 0.1300 हैक्टर भुमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई अर्थात प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खसरा संख्या 1496 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा संख्या 1499 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा संख्या 1501 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 1502 रकबा 0. 1300 हैक्टर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थी कि भूमि का सेटलमेंट करते समय नवीन आराजी संख्या 1496 का पुर्व आराजी अनुसार रकबा बिरादरी एवं नक्सा तरमीम तो सही अंकन किया गया परन्तु प्रार्थी के पुर्व खसरा संख्सा 1272/1 रकबा 2.10 बीघा के जो नवीन खसरा 3 नम्बरो में खसरा संख्या 1499, 1501, 1502 में आराजी चाह के साथ विभगत किया गया उसके नक्सा तरमीम पुर्व नक्से के विपरीत अलग अलग भागो में प्रार्थी के कब्जे के विपरीत नक्सा तरमीम कर विभगत कर दिया गया जबकि प्रार्थी के वक्त खरीद नक्से, पास बुक सम्वत् 2035 में तरमीम नक्से से स्पष्ट था कि खसरा संख्या 1272, 1271, एव 1270 तीनो खसरो एक्त साथ स्थित थे जिनके नक्से तरमीम भी पासबुक पर प्रमाणित कर पटवार हल्का देवगढ द्वारा दर्ज किया गया एव प्रार्थी उक्त भूमि पर करीब 70 वर्षों से पुर्व अनुसार काबिज है। परन्तु वर्तमान सेटलमेंट द्वारा गलत रूप से नक्सा तरमीम कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट करते समय एवं राजस्व नक्से में तरमीम करते समय न तो मौके कि स्थिति देखी गई न ही प्रार्थी को सुना गया मनमकसुद तरीके से उक्त पुर्व खसरा संख्या 1201 रकबा 2.10 बीघा भूमि के नवीन खसरा संख्या दर्ज करते समय पुरा खसरा अलग रूप से कब्जे एवं पुर्व तरमीम नक्से के विपरीत कदर्ज कर दिया गया जिससे जरीये ईन्द्राज शुद्धी पुर्व रकबे अनुसार शुद्ध किया जाना आवश्यक है। उक्त गलती सेटलमंट विभाग द्वारा सेटलमेंट के समय नवीन नक्सा बनाते समय लिपिकिये त्रुर्टि से हुई। विपक्षी राज्य सरकार जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ है राजस्व रेकार्ड से सम्बधीत समस्त जमाबन्दी एव देख रेख में उन्ही के अधिनस्थ रहता है इसलिये उन्हे प्रकरण का आवश्यक पक्षकार बनाया गया है एव रेकार्ड दुरस्त पुनः उन्ही के द्वारा बनाया जाना है। उक्त ईन्द्राज गलत दर्ज होने कि जानकारी मुझ प्रार्थी को पुर्व कि जमाबन्दी नकल लेने एव पटवार हल्का संम्पर्क करने से दिनांक 23.01. 2024 को उत्पन्न हुई तब से प्रार्थना पत्र हेतुक उत्पन्न हो निरन्तर जारी है। वादग्रस्त आराजियात श्री

सहायक कलेक्टर, देवगढ़

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

मान के क्षेत्राधिकारीता का होने से प्रकरण सुनने की को श्रवणाधिकारीता आप न्यायालय को है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम देवगढ पटवार हल्का देवगढ तहसील देवगढ के पूर्व आराजी संख्या 1270/1, 1271/1, 1272/2 कुल किता 3 रकबा 4.09 बीघा भूमि में से खसरा संख्या 1272/2 रका 2.10 बीघा के नवीन आराजी संख्या 1499 रकबा 0.3900 हेक्टर, खसरा संख्या 1501 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 1502 रकबा 0.1300 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 0.5300 हैक्टर भूमि का राजस्व रेकार्ड में तरमीम नक्से को कब्जेनुसार एवं पुर्व कि पास बुक अनुसार तरमीम नक्से अनुसार पुनः जरीये इन्द्राज शुद्धी किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब मय पटवारी हल्का देवगढ़ की जांच रिपोर्ट पेश की गई जवाब में उल्लेखित है कि ग्राम देवगड के गत जमाबन्दी खाता स 845 में आराजी न 1270/1 रकबा 0.1800 बीधा आराजी न 1271/1 रकबा 1.0100 बीघा आराजी न 1272/1 रकबा 2.1000 बीधा भंवरसिंह पिता हेमसिंह रावत सा. मोटा गुडा खातेदार दर्ज रेकार्ड है। ग्राम देवगढ में सेटलमेंट विभाग द्वारा वक्त सेटलमेंट के दौरान पुराने आराजी न 1270/1 रकबा 0.1800 बीधा आराजी न 1271/1 रकबा 1.0100 बीघा आराजी न 1272/1 रकबा 2.1000 बीघा के नवीन आराजी न० 1496 रकबा 0.4200 है० आराजी न 1499 रकबा 0.3900 है० आराजी न 1501 रकबा 0.0100 है० आराजी न 1502 रकबा 0. 1300 है० बनाये गये। ग्राम देवगढ़ में उक्त प्रार्थी खातेदार की भुमि को सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त पुराने नक्शे से भिन्न तरमीम कर दिया है। प्रार्थी पुराने नक्शेनुसार काबिज होकर उपभोग उपयोग कर रहा है। प्रार्थी का वर्तमान नवीन नक्शे में आ. नं. 1496, 1499, 1501, 1502 पर पुर्ण आ. न. 1503 पर आंशिक भाग पर काबिज है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आराजी न 1503 खातेदार लालसिंह पुत्र नवलसिंह हि० पूर्ण जाति राजपुत के नाम दर्ज है। चूंकि पुराने नक्शेनुसार आ. नं. 1496, 1499, 1501. 1502 पर पुर्ण आ. न. 1503 तरमीम भिन्न कर दी गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व भूमि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ जिला राजसमंद में स्थित है जिसके पुर्व जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खसरा संख्या 1270/1 रकबा 0.1800 बीघा, खसरा संख्या 1271/1 रकबा 1.01 बीघा, खसरा

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

संख्या 1272/1 रकबा 2.10 बीघा कुल किता 3 रकबा 4.09 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में स्थित थी। प्रार्थी के पिता ने उक्त भूमि जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.12.1954 को जरीये रजिस्टर्ड विकय पत्र गोकल सिंह जी से खसरा संख्या 1270 एवं 1271 कि भूमि खरीदी एवं श्री नवल सिंह पिता श्री पृथ्वीसिंह जी से जरीये रजिस्टर्ड बिकाव दिनांक 07.08.1961 को खसरा संख्या 1272 कि भूमि खरीदी तब से लगायत आज दिन तक प्रार्थी अपने पिता के समय से ही उक्त आराजियात पर करीब 6 वर्षों से निरन्तर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के अविरल कास्त करते हुये उपयोग उपभोग कर रहा है। वर्तमान में वर्ष 2020 में देवगढ़ तहसील का सेटलमेंट हुआ उस समय प्रार्थी ने पुर्व आराजी संख्या 1270/1 रकबा 18 विस्वा, आराजी संख्या 1271/1 रकबा 1.01 बीघा के सयुक्त नवीन आराजी 1496 रकबा 0. 4200 हैक्टर, आराजी संख्या 1272/1 रकबा 2.10 बीघा के नवीन आराजी संख्या 1499 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा संख्या 1501 रकबा 0. 0100 हैक्टर व खसरा संख्या 1502 रकबा 0.1300 हैक्टर भुमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई अर्थात प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खसरा संख्या 1496 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा संख्या 1499 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा संख्या 1501 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 1502 रकबा 0.1300 हैक्टर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थी कि भूमि का सेटलमेंट करते समय नवीन आराजी संख्या 1496 का पुर्व आराजी अनुसार रकबा बिरादरी एवं नक्सा तरमीम तो सही अंकन किया गया परन्तु प्रार्थी के पुर्व खसरा संख्सा 1272/1 रकबा 2.10 बीघा के जो नवीन खसरा 3 नम्बरो में खसरा संख्या 1499, 1501, 1502 में आराजी चाह के साथ विभगत किया गया उसके नक्सा तरमीम पुर्व नक्से के विपरीत अलग अलग भागो में प्रार्थी के कब्जे के विपरीत नक्सा तरमीम कर विभगत कर दिया गया। खसरा संख्या 1272, 1271, एव 1270 तीनो खसरो एक्त साथ स्थित थे जिनके नक्से तरमीम भी पासबुक पर प्रमाणित कर पटवार हल्का देवगढ द्वारा दर्ज किया गया एव प्रार्थी उक्त भूमि पर करीब 70 वर्षों से पुर्व अनुसार काबिज है। परन्तु वर्तमान सेटलमेंट द्वारा गलत रूप से नक्सा तरमीम कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट करते समय एवं राजस्व नक्से में तरमीम करते समय न तो मौके कि स्थिति देखी गई न ही प्रार्थी को सुना गया मनमकसुद तरीके से उक्त पुर्व खसरा संख्या 1201 रकबा 2.10 बीघा भूमि के नवीन खसरा संख्या दर्ज करते समय पुरा खसरा अलग रूप से कब्जे एवं पुर्व तरमीम नक्से के विपरीत कदर्ज कर दिया गया जिससे जरीये ईन्द्राज शुद्धी पुर्व रकबे अनुसार शुद्ध किया जाना आवश्यक है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपने जवाब मय पटवारी हल्का देवगढ़ की रिपोर्ट की ताईद की।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> 90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पैरोकार जवाब व पटवारी हल्का देवगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त वाद में आराजी संख्या 1503 खातेदार लालसिंह पुत्र नवलसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपुत के नाम दर्ज है। उक्त प्रकरण में लालसिंह पुत्र नवलसिंह का हित प्रभावित हो रहा है परन्तु लालसिंह पुत्र नवलसिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर बिना लालसिंह पुत्र नवलसिंह को सुने बिना उक्त वादग्रस्त भूमि में इन्द्राज शुद्धि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर देवगढ़
देवगढ़, जिला-राजसमन्द
जिला राजसमन्द